

राजस्थान उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)  
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

राजस्‍व विविध प्रकरण GCMS NO 2025/186  
दायरा तिथि : 25.04.2025  
आदेश तिथि : 06-01-2026  
प्रार्थी :-

छगनलाल पी. जैन पुत्र पुनमचंद जैन निवासी बिसलपुर तहसील बाली

ब न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955  
संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012  
बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 06-01-26

प्रार्थी ने निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 923 रकबा 0.77 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 922 रकबा 0.81 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में निरीक्षक भू-अभिलेख बिसलपुर को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/3319 दिनांक 29.11.2025 की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. यह है कि प्रार्थी के खेत से कटान मार्ग पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध समस्त रास्तों के विकल्पों में से निकटतम दुरी का है।
3. यह है कि प्रस्तावित रास्ता मौकों पर प्रचलित नहीं है।
4. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	992	0.81	बारानी अव्वल	67X09=603 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

5. यह कि प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 2,65,000/- रुपये प्रति हैक्टर है।
6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू-भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण में तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंसा की गई। तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 923 रकबा 0.77 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।



सहायक क्लर्क एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.....02

// 02 //  
**राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2025 / 186**  
**अनवान छगनलाल बनाम सरकार**  
**अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (गुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 923 रकबा 0.77 हैक्टर हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 992 रकबा 0.81 हैक्टर में से **603 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 2,65,000/-रूपये प्रति हैक्टयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
992	0.81	67X09=603 वर्गमीटर	27	16281X2=32562	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 32565/- (अक्षरे बत्तीस हजार पांच सौ बासठ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में लिखीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। निम्नलिखित के लिये शुमार होकर नंबर से कम हो।



(दिनांक 09-01-26) पदेन  
**सहायक कलेक्टर एवं पदेन**  
**उपखण्ड अधिकारी, बाली**  
 बाली

दिनांक : 09-01-26

क्रमांक/कोर्ट/2026/89-93  
 प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3. पटवारी हल्का, बिसलपुर
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक छगनलाल पी. जैन पुत्र पुनमचंद जैन निवासी बिसलपुर तहसील बाली को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
**सहायक कलेक्टर एवं पदेन**  
**उपखण्ड अधिकारी, बाली**